न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/11/2021

पन्नालाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत तमरेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 07.04.2021 प्रकरण सांख्या 22/2020 सरकार बनाम पन्नालाल अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 23.11.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 07.04.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट की जमा शुदा प्रतिभूति राशि व प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 खिलाफ कानून मौका एवं रिकार्ड के विपरीत पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 09.2.2021 का अवलोकन नही किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री का दुरूपयोग नही किये जाने का उल्लेख किया है। अपीलान्ट ने लगाये गये आरोप संख्या 01 के सम्बन्ध में अपने जबाब में अवगत कराया गया था कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य में लागू जिला पोर्टबिल्टी एवं अंतर जिला/राज्य स्तीय पोर्टबिल्टी की व्यवस्था के आनुसार ही पहले आओ पहले पाओ के सिद्वान्त पर खाद्यान्न का वितरण किया गया है। डीलर के वार्ड के कोई भी उपभोक्ता राशन प्राप्त करने से नही रहा है व इस बाबत किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही है। डीलर के विरूद्ध वत्तोदेवी के आरोप के

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

संख्या 02 के सबंध में जबाब में उल्लेख किया है कि शिकायतकर्त्ता वत्तोदेवी स्वंय केंसर से पीडित नही है और उसे लगातार राशन प्राप्त हो रहा है, इसकी पुष्टि वक्त जांच प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि वत्तोदेवी को लगातार राशन मिला रहा है केवल माह अप्रेल 2020 का राशन दूसरे राशन डीलर से प्राप्त किया था क्योकि डीलर को अतिरिक्त राशन का आवंटन नही हुआ था। आरोप संख्या 3 में वर्णित चारो उपभोक्ताओं ने राशन प्राप्त किया है जिसकी पुष्टि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व रिकार्ड से होती है। इन चारो उपभोक्तओं को राशन नही देने बाबत कोई आदेश विभाग से अपीलान्ट के पास नही थे। उक्त उपभोक्ताओं द्वारा अपने शपथ पत्र तहत न्यायालय में पेश किये है जो कि अपीलान्ट ने अपने जबाब के साथ प्रस्तुत नही किये गये है बल्कि स्वंय उपभोक्ताओं के द्वारा ही पेश किये गये है। जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में माना है कि इन चारो उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया गया है तथा मात्र दो बार ही राशन ऑफलाइन दिया है जो कि मोबाइल काम नही कर रहे थे। जिनका राशनकार्डो में इन्द्राज है, इस प्रकार 2.50 क्विंटल का गेहूं के फर्जी ट्रान्जेक्शन का आरोप रिकार्ड के विपरीत है। अपीलान्ट के विरूद्व अन्य 4 उपभोक्ताओं को राशन नही देने के आरोप लगाये है जबकि उक्त 4 उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया गया है जिसकी पुष्टि ऑनलाइन ट्रांन्जेक्शन व उपभोक्तओं के बयानो से होती है किसी भी उपभोक्ता ने अपीलान्ट के विरूद्व कोई आरोप नही लगाया गया है। तहत न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उपभोक्ताओं द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व उपभोक्ताओं के साथ खराब व्यवहार रखना का आरोप गलत है क्योकि अपीलान्ट ने कभी भी किसी भी उपभोक्ता के प्रति खराब व्यवहार नही रखा गया है। मात्र पार्टीबंदी के आधार पर झूठी शिकायत की गयी है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा कथन किया है कि अपीलान्ट डीलर के विरूद्व खाद्य सामग्री के दुरूपयोग व गबन का कोई प्रमाण नही है व उक्त शिकायत पार्टीबंदी के कारण की गई है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश देते समय अपीलान्ट का जबाब व प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर बिना गौर किये ही पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक कुम्हेर ने शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर जांच की गई जांच में पाया कि उचित मूल्य दुकान द्वारा स्वंय के वार्डो के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नही कर दूसरे वार्डो के उपभोक्ताओं को गेहूं वितरित किया जिससे स्वंय के वार्डो के उपभोक्ता खाद्यान्न से वंचित रहे। वत्तोदेवी जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की लाभार्थी है, उसको भी डीलर द्वारा खाद्यान्न नही दिया गया है तथा ऐबीयन्स राशनकार्डो की सूची में से 4 कार्डो पर गेहूं का वितरण दिखाकर 250 किग्रा गेहूं का दुरूपयोग कर खाद्यान्न से वंचित रखा गया है जबकि उक्त उपभोक्ता डीलर

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

पन्नालाल के क्षेत्र के थे। डीलर द्वारा अपने समर्थन में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है उनकी मौके पर जांच में पाया कि उक्त चारो गावं में भी मौजूद नही होना बताया गया है, जिनकी सत्यता का सत्यापन नही हो सकी। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने दुकानदार के कार्य व्यवहार को खराब बताया है साथ ही डीलर द्वारा अपने जबाब व वितरण के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य आदि प्रस्तुत नही किया गया है।

अन्त में पैरोकार रसद द्वारा कथन किया गया कि डीलर द्वारा वितरण में काफी अनियमितताऐं की गई है। राशन सामग्री का दुरूपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपीलाधीन आदेश सही एवं कानूनन पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर गनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि डीलर द्वारा अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वंचित कर अन्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण किया गया है। जिसकी पुष्टि मौके पर जांच के दौरान की जा चुकी है। डीलर द्वारा वत्तोदेवी को खाद्यान्न का वितरण नही किया गया किन्तु गेहूं लेना बताया गया है जबकि जांच में भी उसने खाद्यान्न लेना नही बताया गया है। ऐबीयन्स सूची के लाभार्थियों को गेहूं देने के सबंध में शपथ पत्र पेश किये गये जो कि मौके पर जांच के दौरान में गांव में भी मौजूद नही थे। डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाब में पोर्टबिल्टी के सिद्वान्त के आधार पर वितरण होना दर्शाया गया है किन्तु अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित रखा गया है। जांच के दौरान मौके पर उपभोक्ताओं द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा डीलर के विरूद्व जो शिकायत की गई वह सही है। डीलर द्वारा अपने जबाब के समर्थन में कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत नही किये गये है। इससे डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐ किया जाना बखूबी प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नही होने से समर्थन किये जाने योग्य रहता है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावें।

निर्णय आज दि0 23.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर